# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

**(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या :– 135/2023(पुरानी–70/2022)
प्रविष्टि दिनांक:– 01.12.2023(पुरानी–29.09.2022)
निर्णय दिनांक :– 13.11.2024

::–उनवान–::

**1. चावण्ड सिंह पुत्र विजयसिंह, जाति चारण, निवासी लामगरा, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी।**
**–अपीलान्ट**

**बनाम**

**1. विकास दत्तक पुत्र कालूराम संरक्षक जाईन्दा माता अनोखीदेवी जाति बलाई, निवासी लामगरा, तहसील भिनाय, जिला केकड़ी।**

**2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला केकड़ी।**

**–रेस्पोडेण्ट**

## अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 04.09.2000 जो कि न्यायालय तहसीलदार भिनाय एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम

उपस्थिति :
(1) श्री सज्जन कुमार चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट।
(2) तहसीलदार भिनाय, रेस्पोडेण्ट।

::–निर्णय–::  **दिनांक 13.11.2024**

**प्रार्थी द्वारा अपील व प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि:–**

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तकरण न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं0 767 मिन रकबा 0.38 गै.मु. तालाब, वाके ग्राम लामगरा, तहसील भिनाय जिला केकड़ी जिसके नवीन नम्बर खसरा संख्या 1941/767 रकबा 0.3800 है0 नामान्तरकरण संख्या 874 दिनांक 20.8.2020 गोदनामे से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त आराजीयात बाबत तहसीलदार भिनाय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 79 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 01.08.2000 की पालनार्थ नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.05.1993 की दुरूस्ती हेतु स्वीकृत किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही गै. मु. तालाब की आराजीयात होने से व अवैधानिक रूप से उक्त नामान्तरकरण बाबत अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्वज कालू के नाम स्वीकृत किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि आराजी खसरा संख्या 778 मिन व 779 मिन से हाल खसरा संख्या 767 निर्मित हुए है एवं खसरा संख्या 768 मे उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 26.06.1995 से तीन बिस्वा भूमि चाह हेतु प्रार्थी के पक्ष में आवंटित की गई है। खसरा संख्या 899 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा व 779 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि कालू वल्द पेमा को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.1992 को आवंटित की गई एवं उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 150 अतिरिक्त तहसीलदार भिनाय द्वारा दिनांक 28.05.1993 को उक्त आराजीयात बाबत अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्वाधिकारी कालू वल्द पेमा के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है। किन्तु आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 79 से खसरा संख्या 767 मिन रकबा 0.38 गै. मु. तालाब बाबत खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे संशोधित आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.5.1993 की दुरूस्ती का अंकन करते हुए स्वीकृत किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही किए गए आवंटन आदेश एवं अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 28.05.1993 के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की आड मे प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जबरन स्वंय का आधिपत्य होना अंकन करते हुए बेदखली की कार्यवाही की जा रही है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

4. यह कि खसरा संख्या 767 मे अपीलांट को गै. मु. चाह हेतु 0.03 हैक्टर आराजीयात का आंवटन किए जाने से अपीलांट के नाम उपरोक्त आराजी 767/2 रकबा 0.03 के स्थान पर क्रमांक 3 दिनांक 10.01.2005 से खसरा संख्या 1939/767 रकबा 0.03 हेक्टर बाबत स्वीकृत किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पूर्वाधिकारी कालू वल्द पेमा के नाम क्रमांक संख्या 3 दिनांक 10.01.2005 से खसरा संख्या 767 मिन रकबा 0.38 हैक्टर के सीन पर खसरा संख्या 1941/767 रकबा स्वीकृत किया गया है जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 में किया हुआ है। वर्तमान में नामान्तरकरण संख्या 79 पर किए गए अंकन से रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी कालू वल्द पेमा को आराजी खसरा संख्या 767 मिन रकबा 0.38 गै.गु. तालाब बाबत खातेदारी अधिकार अंकित किए जाने से अपीलांट की उक्त गै0मु0 चाह की आराजीयात पर जबरन आधिपत्य किया जा रहा है। आक्षेपित नामान्तरकरण पूर्व मे पारित आवंटन आदेश व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 150 के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

5. यह कि आराजी खसरा संख्या 767 का कुल रकबा 7.33 हैक्टर दर्ज रहा है, जिसमे से 0.38 एयर गै० मु० तालाब की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कालू के नाम तत्पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 874 दिनांक 20.08.2020 को गोदनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खसरा संख्या 1941/767 दर्ज की गई है व उक्त आराजीयात मे से 767/2 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि गै.मु. चाह कुआं हेतु अपीलांट को सिंचाई हेतु आवंटित की हुई है, जो कि वर्तमान मे 1939/767 रकबा 3 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज अभिलेख है एवं 1940/767 रकबा 6.92 हैक्टर गै. मु. तालाब राजकीय सिवायचक दर्ज आराजीयात रही है। अवैधानिक रूप से आवंटन के विपरीत स्वीकृत नामान्तरकरण 150 की दुरूस्ती मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज 767 मिन रकबा 0.38 एयर के आधार पर अपीलांट की आवंटनशुदा आराजीयात पर जबरन आधिपत्य रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

6. यह कि आक्षेपित आदेश एवं नामान्तरकरण की आड में अवैधानिक रूप से बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनकी खातेदारी गै.मु. चाह एवं कब्जे काश्त की आराजीयात बाबत किए गए अंकन से रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वंय का आधिपत्य बताया जाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली हेतु धारा 183 बी की

कार्यवाही किए जाने पर एवं उक्त आड मे बेदखल करने की धमकी दिए जाने पर हाल ही में दिनांक 04.07.2022 की आक्षेपित नामान्तरकरण के बाबत पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को जानकारी दी गई। तत्पश्चात समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया **जिस पर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है।**

7. यह कि आक्षेपित आदेश व नामान्तरकरण पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स/खातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से उक्त बाबत विधि अनुसार किसी प्रकार की मियाद निर्धारित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हाल ही में दिनांक 04.07.2022 को रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने की नियती जाहिर किये जाने एवं बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलान्ट्स द्वारा आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त अंकन की जानकारी होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भिनाय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 04.09.2000 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि.....

1. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है।
2. यह कि आक्षेपित आदेश एवं नामान्तरकरण की आड में अवैधानिक रूप से बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनकी खातेदारी गै.मु. चाह एवं कब्जे काश्त की आराजीयात बाबत किए गए अंकन से रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वंय का आधिपत्य बताया जाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली हेतु धारा 183 बी की कार्यवाही किए जाने पर एवं उक्त आड मे बेदखल करने की धमकी दिए जाने पर हाल ही मे दिनांक 04.07.2022 की आक्षेपित नामान्तरकरण के बाबत पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को जानकारी दी गई। तत्पश्चात समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 04.09.2000 की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नही रही है यदि मियाद को कन्डोन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नही किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड में प्रार्थीगण को उसके अधिकारों से महरूम कर दिया जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भिनाय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 04.09.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुती की देरी को कन्डोन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी तथा मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट को जानकारी के अभाव के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण किया जाता है।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस तामिल विपक्षीगण की गई। विपक्षी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अपीलाण्ट अधिवक्ता की अपील प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

10. खसरा नं0 899 रकबा 01–16–00 बीघा व खसरा नं0 779 रकबा 10–06–00 बीघा जरिये नामान्तरण सं0 150 दिनांक 28.05.1993 से कालू वल्द पेमा कौम बलाई के नाम दर्ज हुई। जरिये दुरूस्ती आदेश नामान्तरण सं0 79 दिनांक 19.08.2000 से खसरा नं0 767 रकबा 0.38 किस्म गै0मु0ता0 ख0न0 768 रकबा 0.58 बारानी 2 खसरा नं0 769 रकबा 0.71 बारानी 2 खसरा नं0 879 रकबा 0.28 बारानी 3 कालू वल्द पेमा कौम बलाई साकिन देह गैर खातेदार दर्ज हुआ। मुताबिक मिलान क्षै0 साबिक ख0नं0 899 रकबा 0.28 के हाल ख0नं0 879 रकबा 0.28 इसी प्रकार साबिक ख0नं0 779 के हाल ख0नं0 768 रकबा 0.58, ख0नं0 769 रकबा 0.71 व 767 रकबा 7.33 (6.75,0.58) बनें। दौरान सेटलमेंट अप्रार्थी को आंवटित भूमि भराव क्षैत्र में आने से 0.58 है0 भूमि की किस्म गै0मु0ता0 कर दी गयी। दुरूस्ती आदेश से खसरा नं0 767 रकबा 7.33 है0 किस्म गै0मु0ता0 में से ख0नं0 767 मिन रकबा 0.38 किस्म गै0मु0ता0 अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दिये गये है।

11. अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 04.09.2000 के अन्तर्गत पेश किया है। तहसीलदार भिनाय का जवाब/रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 के द्वारा ग्राम लामगरा के नामान्तकरण सं0 79 दिनांक 04.09.2000 मे खसरा नं0 767 रकबा 7.33 किस्म गैर मु0 तालाब में से कालू वल्द पेमा बलाई के नाम खसरा नं0 767 मि रकबा 0.38 गैर मु0 तालाब का गैर खातेदारी से नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसके संबंध में पटवारी हल्का लामगरा से रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट पटवारी अनुसार नामान्तकरण सं0 150 दिनांक 28.05.1993 व नामान्तकरण सं0 79 में किसी प्रकार का आंवटन दुरस्ती आदेश चस्पा नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है। अतः खसरा नं0 767 मि रकबा 0.38 है गैर मु0 तालाब भूमि को बिलानाम सरकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, उपखण्ड अधिकारी भिनाय एवं तहसीलदार भिनाय के कार्यालय में आक्षेपित नामान्तरण सं0 79 दिनांक 04.09.2000 एवं नामान्तरण सं0 150 दिनांक 28.05.1993 संबंधी रिकॉर्ड की प्रतिलिपि बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त कार्यालय में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं होना अवगत करवाया है। इस स्थिति में ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज पत्रावली पर तहसीलदार भिनाय ने भी उपलब्ध नहीं कराया है। तहसीलदार ने अपने जवाब/रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 में खसरा नं0 767 मि रकबा 0.38 है गैर मु0 तालाब भूमि को बिलानाम सरकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भिनाय स्वीकृत नामान्तरण सं. 79 दिनांक 04.09.2000 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/24

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी